

# विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 47/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2021

लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 2021

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,  
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि इस सचिवालय के पत्र संख्या : 44/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2017, दिनांक 29 जनवरी, 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा का वर्ष 2021 का प्रथम सत्र दिनांक 18 फरवरी, 2021 से आहूत किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (पन्द्रहवां संस्करण) के निदेश संख्या-6 के अनुसार सत्र में उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को संकल्प तथा उसके बाद उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस को असरकारी विधेयक लिये जाने का प्राविधान है। मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा निदेश सं0-8 को शिथिल करने के अनुक्रम में प्रथम शुक्रवार को उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को लिये जाने वाले संकल्पों हेतु शलाका मंगलवार, दिनांक 09 फरवरी, 2021 को अपराह्न 4:30 बजे तथा द्वितीय शुक्रवार को उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस के लिये असरकारी विधेयकों हेतु शलाका दिनांक 10 फरवरी, 2021 को अपराह्न 4:30 बजे प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में की जायेगी। असरकारी संकल्पों/विधेयकों हेतु की जाने वाली शलाका के लिये सूचनाएं क्रमशः दिनांक 09 व 10 फरवरी, 2021 को अपराह्न 4:00 बजे तक दी जा सकती हैं। शलाका के समय कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित रह सकते हैं।

अतएव, आप यदि चाहें तो, अपने असरकारी संकल्प/विधेयक की सूचनाएं क्रमशः दिनांक 09 व 10 फरवरी, 2021 को अपराह्न 4:00 बजे तक इस सचिवालय में दे सकते हैं। उक्त शलाका के लिये किसी सदस्य से प्राप्त एक से अधिक असरकारी संकल्प/विधेयक की सूचनाएं ग्राह्य नहीं की जायेंगी।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

संख्या : 47(1)/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अरविन्द पाठक,

संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0-156 विधान सभा (275)-29-01-2021-500 प्रतियां (कम्प्यूटर)।